(ग) क्या यह सच है कि ये वित्तीय संस्थायें मकान निर्माण हेतु आसानी से ऋण नहीं देतीं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार ऋण संबंधी प्रावधान में संशोधन करने का विचार रखती है ताकि मध्य वर्ग और समाज के कमजोर वर्ग उक्त ऋण सुविधा का लाभ उठा सकें?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि एन एच बी द्वारा प्रदान की गई पुनर्वित सहायता में से आवास वित्त कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों, शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में इन संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित ब्याज दरें प्रभारित की जाती हैं:—

ऋणों का आकार	ब्याज की दरें
(i) 25,000 रु० तक	12.00% वार्षिक
(ii) 25,000 रु० से अधिक और 2 लाख रु० तक	13.50 प्रतिशत वार्षिक
(iii) 2 लाख रु० से अधिक	स्वतंत्र

राष्ट्रीय आवास बैंक ने यह भी सूचित किया है कि एन एच बी पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत निर्धारित ब्याज की दरों के अतिरिक्त विभिन्न ऋण स्लैबों के अंतर्गत आवास वित्त कंपनियों के स्वयं के ब्याज दर ढांचे भी है। व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को प्रत्यक्ष उधार देने के संबंध में एन० एच० बी० द्वारा अनुमोदित कुछेक आवास वित्त कंपनियों का ब्याज दर ढांचा अनुपत्र में दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र संख्या 84]**

(ग) और (घ) राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) ने सूचित किया है कि आवास निर्माण उद्देश्यों के लिए आसानी से ऋण प्रदान करने में आवास वित्त संस्थाओं के गैर-विस्तार/अक्षमता के बारे में देने के लिए उसके पास कोई जानकारी नहीं है। तथापि यदि एन एच बी को आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) द्वारा आवास वित्त के गैर विस्तार के संबंध में कोई विशेष शिकायत मिलती है तो संबंधित एजेंसी से उपयुक्त कदम उठाने के लिए कहा जाता है । चूंकि वर्तमान दिशानिर्देश पर्याप्त हैं, अतः जहां तक मध्य वर्गीय और समाज के कमजोर वर्ग को दिए जाने वाले ऋण का संबंध है। भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आवास वित्त की भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निरंतर पुनरीक्षा की जाती है।

Loss suffered by Air India due to wet leasing of aircraft

3572. SHRI MD. SALIM: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) what is the extent of loss by Air India due to wet leasing of aircrafts;

(b) whether Government will initiate an enquiry in the matter;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) to (d) Air India had wetleased three A-310 and two L-1011 aircraft to provide grwoth and to bridge capacity until Air India is able to acquire its own aircraft. While the cost of the wetleased A-310 aircraft is higher by Rs. 12,000/- per flying hour compared to Air India's A-310 aircraft, the cost of wetleased L-1011 aircraft is lower by Rs. 1.11 lakhs per hour as compared to Air India's similar capacity B747—300 (Combi) aircraft. Air India has since terminated its wetlease agreement with Caribjet for one A-310 and two L-1011 aircraft due to violations of civil aviation requirements in the operating of its aircraft.

Setting up of more Regional Cancer Centres in Maharashtra

3573. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Tata Memorial Hospital, Mumbai is the only Regional Cancer Centre functioning in the State of Maharashtra, which is unable to cope with the growing number of cancer cases in the State;

(b) if so, whether Government propose to establish more Regional Cancer Centres in Maharashtra particularly at Nagpur; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) to (c) Tata Memorial Hospital, Mumbai is a Regional Cancer Centre which provides comprehensive facilities for diagnosis and treatment of cancer patients. Besides, radio-therapy facilities for treatment of cancer are available in 15 other institutions in Maharashtra. Out of these two institutions are in Nagpur. There is no proposal at—present to recognise another institution as Regional Cancer Centre in the State.

Molestation of NRI girl by Air India official on Mumbai bound flight

3574. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an Air India official on Mumbai bound flight AI-112 from London molested a teenager Non-Resident Indian girl on board;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action has been taken against the Air India official for his indecent action defaming the airlines and also to ensure high standards of morality and discipline among the AI personnel?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) to (c) An Air India employee while on leave and travelling on AI-112 flight of 6th July, 1996, molested a girl on board the same flight. He has been dismissed from service from 6th August, 1996.

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की विभिन्न न्यायपीठों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

3575. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर, इन्दौर और ग्वालियर की न्यायपीठों में वर्तमान में न्यायाधीशों के कितने रिक्त पड़े हैं;

(ख) उक्त न्यायपीठों में इस समय कार्य कर रहे न्यायाधीशों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है और ये पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप): (क) से (ग) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 26 स्थायी न्यायाधीश और 8 अपर न्यायाधीश की स्वीकृत पद संख्या है। 1-9-1996 को भरे जाने वाले स्थायी न्यायाधीशों की 4 और अपर न्यायाधीशों के 2 रिक्तियों को छोड़कर, 22 स्थायी न्यायाधीश और 6 अपर न्यायाधीश पदासीन हैं। ये पद न्यायाधीशों की समय-समय पर सेवानिवृत्ति और स्थानान्तरण के कारण रिक्त हुए।

राष्ट्रपतीय अधिसूचना के अनुसार, चार न्यायाधीशों से अन्यून, जैसा कि मुख्य न्यायमूर्ति समय-समय पर नामनिर्दिष्ट करें, इन्दौर में आसीन होंगे और दो न्यायाधीशों से अन्यून, जैसा कि मुख्य न्यायमूर्ति समय-समय पर नामनिर्दिष्ट करे, ग्वालियर में आसीन होंगे।

मध्य प्रदेश रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 न्यायाधीश जबलपुर में, 8 न्यायाधीश इन्दौर में और 6 न्यायाधीश ग्वालियर में आसीन हैं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए संबद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया जारी है। यह बताना संभव नहीं है कि इन पदों को कब तक भरा जाएगा।

Denial of Government order to the Hindustan Latex

3576. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Hindustan Latex is facing a threat of closure due to the